कार्यालय नजारत विभाग,
जनपद न्यायालय, गाजियाबाद।
दिनांक 02.08.2023

सार्वजनिक सूचना

न्यायालय परिसर, राजनगर, गाजियाबाद में स्क्रैप के रूप में रखे हुए कम्प्यूटर सम्बन्धी निष्प्रयोज्य सामान(कम्प्यूटर डैस्क टॉप, सी.पी.यू., प्रिंटर, स्कैनर, यू.पी.एस. आदि) की नीलामी, छोडे जाने हेतु दिनांक 19 अगस्त, 2023 की सांय 04.00 बजे मुख्य न्यायालय भवन के भू तल पर स्थित सेन्ट्रल हॉल में खुली बोली के द्वारा की जायेगी। उपरोक्त निष्प्रयोज्य सामान मुख्य न्यायालय परिसर में विभिन्न कक्षो में स्थित है तथा सामान जैसी स्थिति में है, वैसा ही नीलाम किया जायेगा। इच्छुक व्यक्ति द्वारा किसी भी कार्यदिवस में उपरोक्त निष्प्रयोज्य सामान का निरीक्षण न्यायलय परिसर, राजनगर में किया जा सकता हैं। नीलामी की न्यूनतम बोली अंकन 1,00,000/– रूपये होगी।

नीलामी सम्बन्धी शर्ते एवं अन्य कोई जानकारी किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक जनपद न्यायालय, गाजियाबाद के नजारत कार्यालय से अथवा जनपद एंव माननीय उच्च न्यायालय की वैबसाईट पर प्राप्त की जा सकती हैं। नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाताओ को प्रत्येक ठेके हेतु बोली लगाने से पूर्व अंकन 25,000/– (रूपये पच्चीस हजार) का बैंक ड्राफ्ट, जो कि ''जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद'' के पक्ष में हो, धरोहर धनराशि के रूप में जमा कराना होगा।

02/08/23

अध्यक्ष, नीलाम समिति/
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–14, गाजियाबाद।

कार्यालय – नजारत विभाग,
जनपद न्यायालय, गाजियाबाद
दिनांक – 02.08.2023

न्यायालय परिसर, गाजियाबाद में रखे हुए कम्प्यूटर सम्बन्धी निष्प्रयोज्य सामान की बाबत बोलीदाता हेतु नीलामी की शर्ते

1. जो व्यक्ति बोली बोलना चाहेगें उन्हें अंकन 25,000/- रूपये का बैंक ड्राफ्ट जो कि जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद के नाम प्रतिभूति के रूप में जमा करना होगा तथा साथ में अपने निवास/पहचान पत्र की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति एवं पासपोर्ट साईज फोटो भी जमा करनी होगी।

2. इच्छुक बोलीदाता पंजिकृत फर्म का प्रोपराईटर हो तथा पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रति जमा करनी होगी।

3. बोलीदाता को जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. सरकारी बोली अथवा न्यूनतम बोली अंकन 1,00,000/- रूपये होगी तथा नीलाम के इच्छुक व्यक्ति को उससे अधिक की बोली बोलनी होगी।

5. इच्छुक बोलीदाता को पूर्व में किसी सरकारी विभाग में बोली बोलने का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

6. सर्वोच्च बोलीदाता को बोली का 25% धनराशि तत्काल नकद कार्यालय में जमा करानी होगी।

7. सर्वोच्च बोलीदाता को बोली स्वीकृत होने के उपरान्त 03 दिन के अन्दर सामान का कब्जा लेने से पूर्व बोली की सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी। अन्यथा उसके द्वारा जमा की गयी जमानत धनराशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी।

8. न्यायालय में रखे कम्प्यूटर सम्बन्धी निष्प्रयोज्य सामान का निरीक्षण इच्छुक व्यक्ति के द्वारा नीलामी से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक किया जा सकेगा।

9. नीलामी हेतु सन्दर्भित निष्प्रयोज्य सामान का कब्जा जहां है जैसा है के आधार पर दिया जायेगा। किसी भी प्रकार का ढुलाई अथवा मार्ग व्यय देय नही होगा। क्रेता को स्वयं के खर्चे पर सामान का उठान करना होगा।

10. नीलाम क्रेता को नीलामी सम्बन्धी सभी औपचारिकताएं स्वयं पूर्ण करनी होगी।

11. नीलामी में असफल व्यक्तियों द्वारा जमा की गयी जमानत/धरोहर धनराशि नीलामी के उपरान्त उसी दिन वापस कर दी जायेगी।

12. किसी भी स्थिति में माननीय जिला न्यायाधीश, गाजियाबाद का निर्णय सर्वमान्य एवं अन्तिम होगा तथा उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर नीलामी निरस्त कर दी जायेगी।

13. क्रम सं० 01, 02 एवं 03 पर वर्णित प्रपत्र व धनराशि नीलामी की दिनांक 19.08.2023 के दोपहर 02.00 बजे तक नजारत अनुभाग में जमा कराना सुनिश्चित करें। इसके पश्चात कोई भी प्रपत्र अथवा दस्तावेज प्राप्त नही किये जायेगें।

02/08/23

अध्यक्ष नीलाम समिति/
अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–14, गाजियाबाद।